भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1772

दिनांक 13.03.2013/ 22 फाल्गुन, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जाना

1772. श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला :
श्री मनसुख एल० मांडविया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राशन कार्ड, मतदाता कार्ड और अन्य सरकारी वैध पहचान पत्रों जैसे वैध पहचान पत्र जारी करते समय सतर्क रहने के लिए क्या कार्यवाही की है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इस तरह से पहचान पत्रों को गैर-कानूनी रूप से और आसानी से प्राप्त कर लिया है और उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है और हमारी आन्तरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं; और
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है और क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) और (ख) : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से यह सुनिश्चित करने की आशा की जाती है कि राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य वैध सरकारी पहचान पत्रों जैसे पहचान पत्र संबंधित दस्तावेजों की उचित ढंग से संवीक्षा करने और जहां कहीं आवश्यकता हो, वहां विधिवत जांच करने के पश्चात ही जारी किए जाएं । जब भी गैर कानूनी प्रवासियों द्वारा जालसाजी करके ऐसे पहचान पत्र प्राप्त करने की घटनाओं का पता चलता है, तो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा कानून के प्रावधानों के तहत यथा आदेशित अन्य उपयुक्त कदम उठाने के साथ-साथ ऐसे दस्तावेजों को रद्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है । इस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते । जहां तक भारतीय नागरिकता का संबंध है, ऐसे विदेशी जो अवैध प्रवासी नहीं है, नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं । भारतीय नागरिकता प्रदान करना एक बहु-स्तरीय और बहु-एजेन्सी कार्य है जिसमें विभिन्न स्तरों पर यथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट/डी सी और गृह मंत्रालय द्वारा आवेदक के भारत का नागरिक बनने की पात्रता के बारे में विस्तृत संवीक्षा करना शामिल है । अतः किसी विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से पूर्व सभी स्तरों पर सम्यक सावधानी बरती जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी अवैध प्रवासी को भारतीय नागरिकता प्रदान न की जाए ।

****